

कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-I

महाराष्ट्र

No. Admn-I/Promotion/Assistant Supervisor/2022/98

Date: 23-09-2022

OFFICE ORDER

प्रधान महालेखाकार महोदया श्रीमती पी. पी. केळसकर, वरिष्ठ लेखाकार को केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) (संशोधित वेतन) नियम 2016 के वेतन मैट्रिक्स (44900-142400) के वेतन स्तर 7 में दिनांक 01-10-2022 या कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक जो भी बाद में हो, सहायक पर्यवेक्षक के संवर्ग में पदोन्नत करने पर हर्ष महसूस करते हैं।

Principal Accountant General is pleased to promote **Smt. P. P. Kelaskar, Senior Accountant** to officiate in the cadre of Assistant Supervisor in the Pay Level 7 of Pay Matrix (44900-142400) of CCS (Revised Pay) Rules 2016 with effect from 01-10-2022 or from the date of assumption of charge, whichever is later.

श्रीमती पी. पी. केळसकर, वरिष्ठ लेखाकार पहले से ही लेवल 7 पर वेतन आहरण कर रहे हैं। अतः उनको आगे वेतन नियतन प्रदान नहीं किया जायेगा।

Smt. P. P. Kelaskar, Senior Accountant is already drawing pay in Level 7. Hence no further fixation is admissible to her.

केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19/05/2009 के अनुलग्नक के पैरा 25 के अनुसार पदोन्नति के लिए मना करने पर, संशोधित सुनिश्चित कैरियर उन्नयन योजना के तहत उनको वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

In the event of refusal of promotion, she will not be eligible to be considered for financial up-gradation under the MACPS in terms of para 25 of Annexure to DoPT O.M. dated 19-05-2009.

DoPT के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) दिनांक 15-06-2018 के पैरा 5 के अनुसार उपरोक्त पदोन्नति माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे के आदेशों के अधीन है।

The above promotion is subject to further orders which may be passed by the Hon'ble Supreme Court in respect of the Special Leave Petition as referred to in DoPT O.M. No. 36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) dated 15-06-2018.

(Authority: Principal Accountant General's order dated: 23-09-2022)

Sd/-

Deputy Accountant General (Admn)

217 - FDP